

"किशोर न्याय अधिनियम, 2015: परिभाषा"

किशोर न्याय अधिनियम, 2015: परिभाषा और विस्तृत विश्लेषण

भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए **"किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015"** एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। यह अधिनियम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए लागू होता है जो या तो **कानून के साथ संघर्ष में हैं** (Children in Conflict with Law) या जिन्हें **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है** (Children in Need of Care and Protection)।

यह अधिनियम **पूर्ववर्ती किशोर न्याय अधिनियम, 2000** का स्थान लेता है और इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, विशेषकर 16-18 वर्ष के किशोरों के गंभीर अपराधों में वयस्क के रूप में परीक्षण की संभावना को जोड़कर।

◆ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की परिभाषा

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एक ऐसा व्यापक कानून है जो बच्चों की भलाई, सुधार, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसकी आधिकारिक परिभाषा निम्न प्रकार है:

"यह अधिनियम उन बच्चों से संबंधित मामलों के लिए बनाया गया है जो कानून के साथ संघर्ष में हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, और उनके लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से उपयुक्त उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से है।"

◆ प्रमुख उद्देश्य

1. बच्चों को दंड नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास देना।
2. बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन, शिक्षा और संरक्षण का अधिकार प्रदान करना।
3. उन बच्चों को देखभाल प्रदान करना जिन्हें परिवार या समाज से उपेक्षा मिली हो।
4. ऐसे किशोरों का संरक्षण करना जो अपराध में लिप्त पाए गए हों।
5. अपराधी किशोरों के लिए अलग न्याय प्रणाली तैयार करना।

◆ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Section 2 के अंतर्गत)

1. बालक (Child)

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

2. कानून के साथ संघर्ष में बालक (Child in Conflict with Law)

ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व कोई ऐसा कार्य किया है जिसे भारतीय कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है।

3. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (Child in Need of Care and Protection)

वह बच्चा जो:

- निराश्रित है या माता-पिता द्वारा त्यागा गया हो,
- शोषण या उपेक्षा का शिकार हो,
- बेघर हो या बिना किसी देखरेख के हो,
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो,
- नशा या अन्य हानिकारक आदतों में फँसा हो।

4. गंभीर अपराध (Heinous Offence)

ऐसे अपराध जिनकी सजा न्यूनतम 7 वर्ष या अधिक हो — जैसे हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक आदि। ऐसे मामलों में 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का परीक्षण **किशोर न्याय बोर्ड** की सिफारिश पर वयस्क के रूप में भी हो सकता है।

◆ प्रमुख संस्थाएँ और उनकी भूमिकाएँ

1. किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)

- इसका गठन उन बच्चों के मामलों की सुनवाई के लिए किया जाता है जो कानून के साथ संघर्ष में हैं।
- बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा कानूनी प्रक्रिया से भयभीत न हो और उसे सुधार के अवसर मिलें।

2. बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)

- ऐसे बच्चों की देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करना जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।
- समिति यह तय करती है कि बच्चे को किस संस्थागत सेवा (जैसे शेल्टर होम, फोस्टर केयर, गोद लेना) की आवश्यकता है।
- इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला होना आवश्यक है।

◆ प्रक्रियात्मक विशेषताएँ

1. **गोपनीयता:** किशोर की पहचान और उसके मामलों को सार्वजनिक नहीं किया जाता।
2. **सुधारात्मक दृष्टिकोण:** बच्चों को सुधार गृह, परामर्श सेवा, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है।
3. **गोद लेना (Adoption):** इस अधिनियम में गोद लेने की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया गया है, विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त और उपेक्षित बच्चों के लिए।
4. **न्यायिक समीक्षा:** प्रत्येक बच्चा जो किसी संस्थान में है, उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाती है।

◆ 2015 अधिनियम के प्रमुख सुधार

1. **गंभीर अपराधों में वयस्क की तरह परीक्षण की अनुमति (16-18 वर्ष):** यह परिवर्तन निर्भया कांड के बाद किया गया जिसमें किशोर आरोपी को लेकर सार्वजनिक असंतोष व्यक्त हुआ था।
2. **गोद लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाना।**
3. **बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निगरानी की शक्तियाँ प्रदान करना।**

◆ आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

1. **वयस्क के रूप में परीक्षण:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किशोर न्याय की मूल आत्मा — सुधार की भावना — कमजोर पड़ती है।
2. **संसाधनों की कमी:** सुधार गृहों, परामर्श सेवाओं और पुनर्वास योजनाओं की संख्या और गुणवत्ता अभी भी पर्याप्त नहीं है।
3. **प्रशिक्षित स्टाफ की कमी:** बाल अधिकारों और परामर्श में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से बच्चों को उचित सहायता नहीं मिल पाती।